

केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद

(आयुष मंत्रालय, भारत सरकार)

जवाहर लाल नेहरू आयुष अनुसंधान भवन

61-65, डॉ. एस.पी. मुखर्जी संस्थानिक क्षेत्र,

डी-ब्लॉक जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058

दिनांक:

संप्रेषण प्रपत्र / CONVEYANCE FORM

Form for claiming of conveyance charges for Gazetted/Non-Gazetted officer/official.....

..... राजपत्रित / अराजपत्रित अधिकारी/कर्मचारी के वाहन शुल्क के दावे के लिए प्रपत्र।

व्यय का विवरण / Particular of Expenditures

Date/ दिनांक	From/ कहाँ से	To/ कहाँ तक	Mode of Transport/ यात्रा का साधन	vehicle No/ वाहन न.	Distance Travelled (In kms) / यात्रा की दूरी (कि.मी. में)	Amt (Rs)/ राशि (रुपये)

यात्रा का उद्देश्य / Purpose of journey:

.....

प्रमाणित किया जाता है कि इस बिल में वाहन किराया शुल्क पर व्यय वास्तव में मेरे द्वारा किया गया है।/Certified that expenditure on conveyance hire charges in this bill has actually incurred by me.

दिनांक / Date: -

दावेदार के हस्ताक्षर/Signature of claimant

नोट / Note:- बस/टैक्सी/स्कूटर/ऑटो रिक्शा के ड्राइवर द्वारा दिया गया टिकट/रसीद संलग्न होना चाहिए। जहाँ वाहन चालक रसीद देने से इंकार करे, वहाँ वाहन संख्या को दर्शाये। / Tickets/receipt given by Bus/Taxi/Scooter/Auto Rickshaw driver should be enclosed. Where the conveyance driver refuse to give a receipt, the vehicle No. Should be indicated.

अधिकार के प्रत्यायोजन नियम १९५३ के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र
CERTIFICATE AS REQUIRED UNDER THE DELEGATION OF POWER RULES, 1953

१. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति जिन्होंने इस बिल में वाहन शुल्क के रूप में रुपये का दावा किया है मेरे द्वारा अधिकृत किया गया था।
Certified that Shri/Smt. who has claimed Rs..... as conveyance charges in this bill was authorized by me.
२. प्रमाणित किया जाता है कि व्यय वास्तव में अपरिहार्य था, वाहन के उपयोग के लिए शुल्क की अनुसूची पैमाने के भीतर है।
Certified that the expenditure was actually unavoidable is within the schedule scale of charges for the conveyance used.
३. प्रमाणित किया जाता है कि यात्रा के सामान्य नियम के तहत सम्बंधित सरकारी कर्मचारी यात्रा भत्ता आहरण करने के हकदार नहीं है और कोई क्षतिपूर्ति अवकाश भी नहीं दिया जाएगा और यात्रा के ज़रूरी कर्तव्य के प्रदर्शन के लिए कोई वित्तीय पारिश्रमिक नहीं प्राप्त होगा।
Certified that the Government servant concerned is not entitled to draw travelling allowance under ordinary rules for journey and that is not granted any compensation leave and will not received and financial remuneration for the performance of the duty which necessitated the journey.
४. प्रमाणित किया जाता है कि इस माह के दौरान कर्मचारी द्वारा उसके वाउचर में दावा की गई राशि सहित वाहन प्रतिपूर्ति की कुल राशि 300 रुपये से अधिक नहीं है।
Certified that the total amount of conveyance hire reimburse to the official during this month including the amount claimed in his voucher does not exceed Rs. 300/-.
५. प्रमाणित किया जाता है कि यात्रा का स्थान सरकारी कार्यालय से सबसे कम मार्ग द्वारा 1.6 कि.मी. से कम नहीं है।
Certified that the place visited is not less than 1.6 Km. By the shortest route from the Government office.
६. प्रमाणित किया जाता है कि जिस दूरी के लिए वाहन किराया लिया गया है वह मेरी जानकारी के अनुसार सही है और मेरे द्वारा सत्यापित किया गया है।
Certified that the distance for which conveyance hire has been charged is correct and verified by me to the best of my knowledge.
७. प्रमाणित किया जाता है कि सम्बंधित सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई यात्रा के लिए स्टाफ कार / फील्ड कार उपलब्ध नहीं कराई गई।
Certified that the staff car/field car could not be made available for the journey performed by the government servant concerned.
८. प्रमाणित किया जाता है कि आधिकारिक रिकॉर्ड की तात्कालिकता के कारण टैक्सी/स्कूटर किराए पर लेना आवश्यक था।
Certified that it was necessary to hire a Taxi/Scooter due to the urgency of the official record.
९. प्रमाणित किया जाता है सम्बंधित सरकारी कर्मचारी को कार्यालय साइकिल प्रदान नहीं की गई है, केवल वर्ग-IV के मामले में ही नियमबाह्य है।
Certified that the office cycle has not been provided to the Government servant concerned is out of order (Application) only in the case of class-IV staff.

सहायक निदेशक (प्रशासन)/Assistant Director (Admn.)
के.यू.चि.अ.प., नई दिल्ली/C.C.R.U.M., New Delhi

सेवा में / To,

रोकड अनुभाग / Cash Section

रुपये का भुगतान करें (रुपये मात्र)
Pay Rs..... (Rupees only)

लेखा अधिकारी / Account Officer
के.यू.चि.अ.प. / C.C.R.U.M